

NAME OF THE COLLEGE - Giodda College, Giodda

SL NO	DATE	NAME OF THE TEACHER	SUBJECT	SEM	TOPIC	MODE ADOPTED
01	24.04.2020	M. Mahtab Ahmad	CC-08	B.Ed 2nd year	School organization concept	Ppt

भूमिका

(Introduction)

जिस समय वर्तमान अंग्रेजी शिक्षा का बीज इस देश में बोया गया उस समय सारे देश में मकतबों और मदरसों, पाठशालाओं तथा उच्च विद्यालयों का जाल-सा बिछा हुआ था और शिक्षा की ये सभी संस्थायें मस्जिदों, मन्दिरों या धनी व्यक्तियों से सम्बन्धित थीं। उस समय इनकी व्यवस्था में कोई जटिलता नहीं थी। अध्यापक को न तो कोई रजिस्टर आदि रखना पड़ता था, न विद्यार्थियों से कोई शुल्क वसूल करके कहीं जमा करना होता था और न उस समय सारणी बनाना अनिवार्य था। मकतब या पाठशाला में प्रायः एक ही अध्यापक होता था। वह अपने कार्य को अपनी सुविधानुसार नियोजित कर लिया करता था। उसके कार्य का निरीक्षण करने वाला वस्तुतः कोई नहीं था। किन्तु अंग्रेजी ढंग के विद्यालय स्थापित होने पर इस स्थिति में अन्तर आने लगा। यह अन्तर मुख्य रूप से दो कारणों से आया-

(1) प्रथम तो इसलिये कि अंग्रेजी ढंग के विद्यालयों में कई अध्यापक, एक प्रधानाचार्य तथा विद्यालय के प्रबन्ध के लिये व्यवस्थापक होते थे। अतः छात्रों की तथा अध्यापकों की उपस्थिति को अंकित करने के लिये रजिस्टर रखे जाते थे। जब शिक्षा का शुल्क लिया जाने लगा तब अध्यापकों का एक काम यह भी हो गया कि छात्रों से शुल्क वसूल करके प्रधानाध्यापक या व्यवस्थापक के पास जमा करें और इसका हिसाब-किताब रखें।

(2) द्वितीय इसलिये कि शिक्षा का उत्तरदायित्व धार्मिक संस्थाओं तथा धनी व्यक्तियों से हटकर धीरे-धीरे सरकार में केन्द्रित होने लगा। सरकार स्वयं विद्यालय खोलने लगी तथा निजी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने लगी। अतः शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण बढ़ने लगा। अध्यापक की स्वतंत्रता कम होने लगी। सन् 1843 में विद्यालय निरीक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया और सन् 1855 में प्रथम शिक्षा विभाग (Department of Education) की स्थापना की गयी। जितने विद्यालय स्थापित हुये थे उन्हें शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालय के अधीन लाया गया तथा उनके निरीक्षण की व्यवस्था की गयी।

एक ओर तो देश की आर्थिक स्थिति विगड़ती जा रही थी, दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी नौकरियाँ मिलने लगीं, अतः इन नव-स्थापित विद्यालयों की माँग बढ़ती गयी और पुराने ढंग के विद्यालयों की समाप्ति होती गयी। इन नव-स्थापित विद्यालयों ने विद्यालय संगठन की समस्या को जन्म दिया। 15 अगस्त, 1947 को देश को स्वाधीनता मिलने के बाद भारतीय समाज में एक परिवर्तन आया जिसका प्रभाव विद्यालय संगठन पर भी पड़ा। वह परिवर्तन है, देश में प्रजातंत्र की स्थापना। प्रजातंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, वह मुख्यतया सामाजिक व्यवस्था है। अतः आवश्यक हो गया कि विद्यालय का संगठन और प्रबन्ध भी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाये।

विद्यालय-संगठन का अर्थ (Meaning of School Organisation)- जैसा कि नाम से स्पष्ट है 'विद्यालय संगठन' दो शब्दों से मिलकर बना है 'विद्यालय' (School) तथा 'संगठन' (Organisation)। विद्यालय शिक्षा का सबसे प्रमुख 'औपचारिक साधन' (Formal Agency) है जिसमें बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिये समाज की आवश्यकताओं, सभ्यता एवं संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। प्रगतिशील विचारकों का कथन है कि विद्यालयों को समाज की वर्तमान स्थिति की भी स्वतंत्र रूप से आलोचना करनी चाहिए ताकि वह अपने दोषों को दूर

करके प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें। 'संगठन' एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधनरूपी ढाँचा या संरचना है। प्रो. मोहमैन (Moehlman) के अनुसार- "संगठन पुष्टता नहीं रखता। इस कारण इसको एक साधन के रूप में ग्रहण करना चाहिए जिससे निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।" उन्होंने संगठन की तुलना एक यन्त्र से करते हुए लिखा है- "संगठन कार्य करने की एक मशीन है, जिसमें पुर्जों के रूप में भिन्न-भिन्न व्यक्ति, उपकरण, विचार, अवधारणायें, चिन्ह रूप, नियम एवं सिद्धान्त स्वतंत्र एवं मिश्रित रूप से काम करते हैं।" इस दृष्टि से विद्यालय संगठन वह संरचना या ढाँचा है जिसमें भौतिक तथा मानवीय साधनों को निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध एवं सुव्यवस्थित किया जाता है। मान लो एक विद्यालय की स्थापना करना है तो उसके लिये स्थान, वातावरण, जल, भवन, फर्नीचर, साज-सज्जा, शैक्षिक उपकरण आदि भौतिक तत्वों के अलावा शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों आदि का प्रबन्ध करना पड़ेगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन तत्वों को सुव्यवस्थित करना होगा। विद्यालय संगठन के अंतर्गत केवल व्यवस्था ही नहीं बल्कि विद्यालयीय तत्वों का सामंजस्य एवं समन्वय करना भी आवश्यक है ताकि निर्धारित तत्वों की प्राप्ति के लिये प्रत्येक तत्व का अधिकतम उपयोग न्यूनतम अवरोधों के अभाव में किया जा सके। श्री वर्गिश (Verghese) ने इस सम्बन्ध में लिखा है- "विद्यालय संगठन का प्रमुख आधार उचित वर्गीकरण एवं श्रम का उचित विभाजन है। शिक्षक का कक्षा के साथ, कक्षा का कमरों के साथ, विद्यार्थियों का पाठ्यविषयों तथा शिक्षण-पद्धतियों के साथ समायोजन होना और समय का उचित विभाजन होना इत्यादि ऐसी बातें हैं जो विद्यालय को संगठित रूप प्रदान करती हैं।" इस प्रकार विद्यालय संगठन का तात्पर्य उस शैक्षिक संरचना से है जिसमें अभीष्ट शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये साधन के रूप में विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक तत्वों को सुव्यवस्थित तथा समन्वित किया जाता है।

विद्यालय संगठन के उद्देश्य

(Aims of School Organisation)

विद्यालय संगठन के प्रमुख उद्देश्यों को हम निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं-

- (1) शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना।
- (2) राष्ट्र व समाज के प्रति निष्ठावान नागरिकों का निर्माण करना।
- (3) छात्रों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना।
- (4) छात्रों में स्वस्थ व उचित दृष्टिकोण का विकास करना।
- (5) छात्रों में सहयोग व सामुदायिक भावना का विकास करना।
- (6) व्यवसायिक कार्यकुशलता का विकास करना।
- (7) छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।
- (8) स्वतंत्रता, समानता आदि प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना।

विद्यालय संगठन का क्षेत्र

(Scope of School Organisation)

विद्यालय संगठन, विद्यालय के कार्यकलापों की व्यवस्था है। इस दृष्टि से विद्यालय संगठन का क्षेत्र इस प्रकार है-

- (1) व्यवस्था के अंगों में सहयोग करना।
- (2) सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करना।

- (3) समय सारिणी तैयार करना।
- (4) पाठ्यसहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना।
- (5) संस्थागत नियोजन करना।
- (6) प्रवेश परीक्षा आदि व्यवस्था करना, तथा
- (7) विद्यालय समुदाय सम्बन्ध स्थापित करना।

विद्यालय संगठन या शिक्षा संगठन के उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन यहाँ दिया गया है-

(1) व्यवस्था के अंगों में सहयोग करना- विद्यालय संगठन के अंग हैं- प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी तथा शैक्षिक सुविधायें। इन सभी में सहयोग तथा समन्वय होना चाहिए।

(2) सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करना- विद्यालय का संगठन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। विद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए जो विद्यालयों के साथ-साथ समुदाय की आवश्यकता की भी पूर्ति कर सकें।

(3) समय सारिणी तैयार करना- विद्यालय को संगठित करने में समय-सारिणी का विशेष महत्व है। समय-सारिणी के द्वारा ही विद्यालय की समस्त क्रियाओं का संगठन किया जाता है।

(4) पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना- विद्यालय में केवल पठन-पाठन ही नहीं चलता, अपितु पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी बातक के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित किया जाता है।

(5) संस्थागत नियोजन करना- विद्यालय एक संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य भावी समाज का निर्माण करना है। इसकी भावी योजना के अनुरूप साधन जुटाने का कार्य सर्वोपरि हो जाता है। विद्यालय संगठन के माध्यम से अनेक योजनाएँ चलाई जाती हैं जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

(6) प्रवेश परीक्षा आदि व्यवस्था करना- सत्रारम्भ से प्रवेश और सत्रान्त में परीक्षा के मध्य विद्यालय की अनेक प्रकार की कार्य-प्रणाली तथा गतिविधियाँ सम्पन्न कराई जाती हैं।

(7) विद्यालय समुदाय सम्बन्ध स्थापित करना- विद्यालय को लघु समुदाय कहा गया है। इसलिए विद्यालय तथा समुदाय के सम्बन्धों का विकास करना भी विद्यालय संगठन का अंग है।

शैक्षिक संगठन का महत्व

(Importance of Educational Organisation)

शैक्षिक संगठन के महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

(1) भ्रष्टाचार पर नैतिक प्रतिबन्ध- श्रेष्ठ संगठन कर्मचारियों को परिश्रमी, ईमानदार, निष्ठावान तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। इससे भ्रष्टाचार पर नैतिक प्रतिबंध लगता है। जब संगठन शिथिल होता है तो कामचोर कर्मचारी पनपते हैं, जो भ्रष्टाचार में वृद्धि करते हैं। संगठन में समयानुसार आवश्यक परिवर्तन अवश्य होते रहने चाहिए ताकि संगठन में चुस्ती एवं ताजगी बनी रहे। संगठन सदैव जवान रहना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में शिथिलता आती है। कुशल संगठन कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करता है तथा उनके चरित्र को उच्च बनाता है।

(2) प्रबन्धकीय एवं प्रशासकीय क्षमता में वृद्धि- कुशल एवं प्रभावी संगठन से प्रबन्ध एवं प्रशासन का कार्य अत्यन्त सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है। इससे प्रबन्ध एवं प्रशासन की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। श्रेष्ठ एवं कुशल संगठन उपक्रम के समस्त कर्मचारियों, उनकी योग्यताओं एवं गुणों का पूरा-पूरा लाभ उठाता है, साथ ही निम्न प्रबन्ध स्तर के लोगों में कार्य का विभाजन करके उच्च प्रबन्ध की अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। इसके विपरीत शिथिल एवं अकुशल संगठन प्रबन्ध को व्यर्थ के कार्यों में उलझा देता है जिससे महत्वपूर्ण कार्य अपूर्ण रह जाते हैं अथवा विलम्ब से पूर्ण होते हैं।

(3) विशेषीकरण एवं वर्गीकरण की प्रेरणा- वर्तमान समय में संगठन का महत्व इसलिए भी अधिक है कि यह विशेषीकरण एवं वर्गीकरण को प्रेरणा प्रदान करता है। आधुनिक संगठनों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता

एवं रुचि के अनुसार कार्य सौंपा जाता है ताकि वह लगन एवं पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सके। योग्यतानुसार कार्यभार सौंपने से विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है।

(4) रचनात्मक कार्यों में प्रोत्साहन- संगठन के अन्तर्गत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है अथवा कार्यों को उनकी महत्ता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कार्यों का निष्पादन उनकी महत्ता के क्रम में किया जाता है। इससे कर्मचारियों में रचनात्मक कार्यों को करने की भावना जागृत होती है तथा उपक्रम में रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(5) विकास की गति में तेजी- स्वस्थ संगठन एक ऐसी संरचना निर्मित करता है जिसके द्वारा सम्बन्धित उपक्रम का स्वतः विकास होता रहता है। आधुनिक युग में प्रत्येक शैक्षिक संस्था को अपनी क्रियाओं का विकास एवं विस्तार करना जरूरी है तथा विकास एवं विस्तार की गति में तेजी कुशल संगठन से ही सम्भव है।

(6) प्रबन्धकों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायक- स्वस्थ संगठन अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को उनकी योग्यतानुसार प्रबन्धकीय पदों पर नियुक्त किया जाता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के दायित्व सौंपकर उनकी प्रतिभा का विकास तथा समय-समय पर उनकी कार्यक्षमता का परीक्षण किया जाता है।

(7) संस्था में समन्वय स्थापित करने में आसानी- संस्था के विभिन्न विभागों की क्रियाओं में संगठन के द्वारा ही समन्वय स्थापित किया जाता है। प्रत्येक विभाग के समक्ष सामान्य उद्देश्य रखा जाता है और उसी के अनुसार उनकी क्रियाओं का समन्वय सम्पूर्ण इकाई की क्रियाओं में किया जाता है।

(8) तकनीकी सुधारों का अनुकूलतम उपयोग- एक कुशल संगठन नवीन शोध एवं अनुसंधानों के कारण विकसित हुए तकनीकी सुधारों का अनुकूलतम उपयोग सम्भव बनाता है। प्रत्येक संगठन का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम उत्पादन करना होता है जो कि तकनीकी सुधारों का कुशलतम उपयोग करने पर ही सम्भव है।

(9) प्रत्यायोजन का कार्य सुगम- कुछ प्रबन्ध ऐसे कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं जिन्हें वास्तव में उनके अधीनस्थों को करना चाहिए। ऐसे कार्यों में अति व्यस्तता के कारण उनके पास अपने स्वयं के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए समय नहीं रहता है। एक सुदृढ़ संगठन कार्य-क्षेत्र को स्पष्टतः परिभाषित एवं निर्धारित करके प्रबन्ध को ऐसी स्थिति से मुक्त करता है। श्रम के उचित विभाजन, प्रभावी संगठन एवं कार्य का स्पष्ट निर्धारण होने से वे उन कार्यों को, जो उनके द्वारा नहीं किये जाते हैं, अपने अधीनस्थों को सौंप सकते हैं। इस प्रकार कुशल संगठन से प्रत्यायोजन का कार्य काफी आसान हो जाता है।

(10) समय, श्रम, शक्ति एवं साधनों का सदुपयोग- कुशल संगठन से समय, श्रम-शक्ति एवं उत्पत्ति के साधनों का सदुपयोग किया जा सकता है तथा इनकी अनावश्यक बर्बादी को रोका जा सकता है।

श्री एस. के. कोचर ने अपनी पुस्तक 'विद्यालय संगठन' में विद्यालय के निम्न महत्वों का वर्णन किया है-

- (1) विद्यालय संगठन का महत्व अध्यापक को छात्र के उचित विकास के लिये शिक्षा की सुविधाओं को उपयोग करने की शिक्षा देता है।
- (2) विद्यालय के विभिन्न अंगों में समन्वय व एकता स्थापित करना।
- (3) नये प्रयोगों के लिये सुविधायें प्रदान करना।
- (4) ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करना जिससे विद्यालय में सामान्य कार्य सम्पन्न हो सकें।

विद्यालय संगठन के नियम